म्यूल बैंक खाता मामले में 12 गिरफ्तार

राजनांदगांव-रायपुर। आरएनएस

वर्तमान में बढ़ रहे सायबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने हेतु केन्द्र सरकार के गृहमंत्रालय विभाग द्वारा सायबर अपराधियों से संबंधित डाटा, साइबर ठगी में प्रयुक्त बैंक खातों की जानकारी को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र के समन्वय पोर्टल के माध्यम से विभिन्न राज्यों की पुलिस के साथ साझा किया जा रहा है। उसी क्रम में बढ़ते हुये साइबर अपराधों के मद्देनजर साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु जन जागरूकता एवं सायबर अपराधियों एवं साइबर ठग गिरोह को म्यूल बैंक खाता उपलब्ध कराने वाले गिरोह पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग के द्वारा जिले में मिशन साइबर सुरक्षा अभियान की शुरूआत की गई है। इस अभियान के तहत समन्वय पोर्टल के माध्यम से थाना घुमका क्षेत्रान्तर्गत बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा घुमका स्थित कुल 11 बैंक खातों जिनका उपयोग विभिन्न साइबर अपराधों में प्रयोग किया गया है को चिन्हाकिंत कर उक्त खाता धारकों एवं खाता को सप्लाई करने वालों के विरूद्ध थाना घुमका में अपराध क्रमांक 11/2025, धारा 317(2), 317(4), 317 (5), 111 (3) (5) बीएनएस के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव मोहित गर्ग के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा के मार्गदर्शन में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी दिलीप कुमार सिसोदिया

के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी घुमका निरीक्षक बसंत बघेल एवं प्रभारी सायबर सेल निरीक्षक विनय कुमार पम्मार के नेतृत्व में संयुक्त टीम गठित कर सर्वप्रथम दिनांक 08.02.2025 को थाना घुमका क्षेत्रान्तर्गत निवासी खाता धारक क्रमशः 01. जयप्रकाष वर्मा पिता रूपेन्द्र वर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी बरबसपुर, 02. टिकेन्द्र कुमार पिता राज कुमार सिंघारे उम्र 20 वर्ष निवासी सलौनी, 03.मानस पटेल पिता सुरेन्द्र पटेल उम्र 19 वर्ष निवासी सलौन, 04.इंद्र कुमार वर्मा पिता सेवक राम वर्मा उम्र 27 वर्ष निवासी सलौनी, 05 सद्दाम खान पिता जहाँगीर खान उम्र 33 वर्ष निवासी हरडुवा, 06.मोसीम खान पिता जहीर खान उम्र 25 वर्ष निवासी हरडुवा,07 .सेवन्त वर्मा पिता कन्हैया लाल वर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी बहेराभांठा को हिरासत में लेकर पृथक-पृथक से पूछताछ किया गया पूछताछ के दौरान खाताधारक जयप्रकाश वर्मा द्वारा अपने बैंक खाता को कमीशन में देवव्रत निषाद उर्फ देवा निवासी सिंगारघाठ हाल बसंतपुर राजनांदगांव को देना बताया जिस आधार पर देवव्रत उर्फ देवा को देना बताने से आरोपी देवव्रत उर्फ देवा को हिरासत में लिया गया। अन्य खाताधारक इन्द्र कुमार वर्मा, टिकेन्द्र कुमार संघारे और मानस पटेल के द्वारा पूछताछ में अपना-अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक और रजिस्टर्ड सीम को संजय कुमार साहू निवासी खुर्सीपार को देना बताया आरोपी संजय कुमार साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर वह उक्त बैंक खातों को मंगलम सोनी को देना बताया व मंगल सोनी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर विशाल कुमार सोना निवासी नंदनी रोड भिलाई को देना बताया था। आरोपी विशाल द्वारा इन्द्र कुमार वर्मा, टिकेन्द्र कुमार संघारे और मानस पटेल के उक्त बैंक खातों को उत्तरप्रदेश के किसी व्यक्ति को देना बताया है जिसकी पतासाजी की जा रही है। इसके अलावा खाताधारक सेवंत वर्मा के द्वारा अपने बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेकबुक और रजिस्टर्ड सीम को देवेन्द्र दास मानिकपुरी उर्फ सोनू निवासी कैम्प-2, भिलाई के पास पेसे में बेचना बताया तब देवेन्द्र दास मानिकपुरी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर संवंत वर्मा के बैंक खाता को किसी उत्तरप्रदेश निवासी के पास कमीशन में देना बताया है जिसके बारे में पता तलाश की जा रही है। खाता धारक सद्दाम खान और मोहसीन खान दोनों निवासी हरडुआ ने पूछताछ पर अपने बैंक खातों को टेलीग्राम के माध्यम से परिचित किसी भिलाई के युवक को पैसे में बेचना बताया, जिसके संबंध में पतासाजी की जा रही है। प्रकरण में गिरफ्तार 07 बैंक खाता धारकों के बैंक खातों में दर्ज शिकायत के अलावा कुल 2,37,49,519/- (दो करोड़ सैतीस लाख उंचास हजार पांच सौ उन्नीस रूपये) के संदेहास्पद ट्रांजेक्शन की जानकारी प्राप्त हुई है। संदेहास्पद ट्रांजेक्शन के संबंध में अग्रिम विवेचना की जा रही है। इस प्रकार प्रकरण में 07 म्यूल बैंक खाताधारकों एवं उक्त बैंक खातों को सायबर ठगों तक पहुचाने में संलिप्त 05 सप्लायरों के साथ कुल 12 आरोपियों को दिनांक 08.02.2025 को विधिवत गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण में शेष अन्य 04 खाताधारक एवं संलिप्त अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

राजनांदगांव पुलिस की अपील- अपना व्यक्तिगत बैंक खाता, एटीएम कार्ड, चेक बुक व रजिस्टर मोबाईल नंबर की सिम को किसी के बहकावे में आकर किसी अन्य को न दें। स्वयं उपयोग करे अगर खाते में किसी प्रकार की अवैध या संदेहास्पद लेनदेन की जानकारी होने पर पुलिस को सूचना अवश्य दे। अवैध स्त्रोतों से प्राप्त रकम को अर्जित करने के लिए अपना व किसी अन्य का बैंक खाता, एटीएम कार्ड, रजिस्टर्ड सिम, चेकबुक को दूसरे को बेचना, किराये व कमीशन पर देना दण्डनीय अपराध है। अवैध गतिविधियों से रकम को बैंक खाता में प्राप्त करने पर बैंक खाता धारक व संलिप्त के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती है।

महत्वपूर्ण एवं खास

हेरोइन चिट्टा के साथ दो गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। आमानाका पुलिस ने हेरोइन चिट्टा खपाने के लिए ग्राहक तलाशते दो युवको को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 80 ग्राम 31 एमएल हेरोइन चिट्टा जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार आमानाका पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरके प्लास्टिक एंड ट्रेडर्स के पास दबिश देकर आरोपी दलजीत सिंह 21 वर्ष और गुरूबाज सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों के पास से कुल 80 ग्राम 31 एमल हेरोइन चिट्टा जब्त किया है। जिसकी कीमत करीब 4 लाख 1550 रुपए बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

अवैध शराब के साथ तीन कोचिया गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। शहर के उरला और मंदिरहसौद पुलिस के टीम ने अवैध शराब के साथ तीन कोचियो को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 85 पाव देशी शराब जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार उरला पुलिस ने सिंघानिया चौक के पास आरोपी शुभम पांडे 24 वर्ष और माईकल मसीह 29 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन दोनों के पास से कुल 65 पाव देशी शराब जब्त किया है। वहीं मंदिरहसौद पुलिस ने रावणभाठा मैदान के पास आरोपी पंकज कुमार 24 वर्ष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसके पास से 20 पाव देशी शराब जब्त किया है। पुलिस ने तीनों ही मामलों में आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

अलग-अलग क्षेत्र से दो दोपहिया वाहन पार

रायपुर (आरएनएस)। दो अलग-अलग थाना क्षेत्र से अज्ञात चोर ने दो दोपहिया वाहन पार कर दिया। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पहले मामले में काठाडीह निवासी सजमन तांडी 38 वर्ष ने टिकरापारा थाना में शिकायत किया कि वह अपनी एक्टिवा क्रमांक आरजे 20 एचएस 1292 को गोकुल नगर शराब दुकान के पास खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए एक्टिवा की कीमत करीब 30 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं दूसरे मामले में ग्राम खिसोरा निवासी संजय कुमार साहू 40 वर्ष ने गोबरानवापारा थाना में शिकायत किया कि वह अपनी बाइक क्रमांक सीजी 04 एलडी 7943 को संजीवनी अस्पताल के पास खड़ी किया था, तभी अज्ञात चोर ने पार कर दिया। चोरी गए बाइक की कीमत करीब 15 हजार रुपए के आसपास बताई जा रही है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच में लिया है।

शासकीय जमीन की रजिस्ट्री कराने वाला फरार आरोपी गिरफ्तार

दुर्ग-रायपुर। आरएनएस

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया क्षमा यदू पति अंकित यदू उम्र 22 वर्ष अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग छ0ग0 द्वारा थाना आकर ज्ञापन क्र0-342/अति0तह0/2023 भिलाई नगर दिनांक 21.03.2023 को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार खसरा न0 5407/7 रकबा 0.023 हेक्टेयर जोन कमांक 2 वार्ड न0. 14 बाबादीप सिंह नगर से संबंधित जमीन को आवेदक मुकेश बावने को अनावेदक एन.धन राजु आत्मज एन.नारायण के द्वारा विक्रय किया गया एवं एन. धन राजु को उक्त जमीन अरविन्द भाई के द्वारा विक्रया किया गया है उक्त भूमि अभिलेखा अनुसार ग्राम छावनी स्थित भूमि खसरा न. 01 व 02 है जो उद्योग विभाग के नाम से दर्ज है कि रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अप0क्र0-61/2023 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये जितेन्द्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक दुर्ग, सुखनंदन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, सत्यप्रकाश तिवारी नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के निर्देशन में थाना वैशाली नगर के अपराध क्र. 61/2023 धारा 420,34 भादवि के विवेचना क्रम में दिनांक 18.07.20217 को हरिश चन्द राठौर द्वारा खसरा क्र. 5407/3, 5407/4 रकबा 0.07, 0.09 हेक्टयर का छदम आदमी अरविन्द भाई के नाम पर पुरूषोत्तम डोंगरे पिता भैय्या लाल गोंडरे उम्र 65 साल पता वार्ड नं. 10 शांति नगर चिखली थाना चिखली जिला राजनांदगांव छ.ग. को खडा कर फर्जी पहचानकर्ता गवाह तिलकचंद गोंडाने पिता स्व. राम गोंडाने उम्र 34 साल पता पेन्ड्री अटल आवास राजनांदगांव थाना लालबाग जिला राजनांदगांव मो.नं. 9171842310 व खेमचन्द उर्फ खेमू डोंगरे पिता लक्ष्मीनारायण डोंगरे उम्र 28 साल पता मोतिकपुर सुनालचाल थाना चिखाली जिला राजनांदगांव मो.नं. 8234008198 को खडा कर स्वयं के नाम पर पावर आर्फ अटर्नि लिया जिसमें पुरूपोत्तम (छदम व्यक्ति अरविन्द भाई) का फर्जी ड्रायविंग लायसेंस जिसका नं. सी.जी.07/19980001230 दुर्गा कम्प्युटर मालवीय रोड से संतोष साहू को जरिए वॉटसअप के भेज कर बनवाया। जो लायसेंस ईश्वर यादव के नाम पर आर.टी.ओ. साईट पर दिखता है। बनाकर पॉवर आर्फ अटर्नि में लगाया। इस तरह कुट रचना कर हरिश राठौर द्वारा पॉवर आर्फ अटर्नि तैयार कर ऋण पुस्तिका हेमंत सोनवानी से 5000 रू. में प्राप्त किया। प्रकरण में एन धनराजू तथा संतोष नाथ उर्फ जलांधर द्वारा हरिश से सम्पर्क कर उक्त दस्तावेजो के आधार पर स्वयं के नाम पर 10-10 लाख रू. में दिनांक 20.07.2017 को रजिस्ट्री कराया। जिसकी किमत प्रत्येक 10-10 लाख रू. लेख किया गया। जिसमें से 5-5 लाख रू. नगद भुस्वामी द्वारा 2011 से किस्तो में प्राप्त करना लेख किया गया है। बकाया राशि 5 लाख रू. एचडीएफसी बैंक भिलाई तथा चिखली से संतोष नाथ द्वारा चेक क्र. 000031 दिनांक 20.07.2017, एन धनराजू द्वारा 000065 दिनांक 20.07.2017 को देना लेख किया है। जबकि एन धनराजू द्वारा मुल स्वामी अरविन्द भाई के खाते की जानकारी रजिस्ट्री में लेख नही की गयी है और न ही अब तब की विवेचना में किसी के अरविन्द या पुरूषोत्तम के खाते मे भुमि के संबंध में पैसा देने संबंधी कोई प्रवृष्टि प्रस्तुत की है।

अपराधियों के विरुद्ध ताबड़तोड़ कार्यवाई, 24 घंटे में 41 अपराधी गिरफ्तार

कोरबा। आरएनएस

नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.) के दिशा-निर्देश पर जिले में अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। इस विशेष अभियान के तहत, 24 घंटों के भीतर 41 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंटों की तामीली के लिए पूरे जिले में विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में 12 स्थायी और 32 गिरफ्तारी वारंट तामील किए गए, जिनमें कुल 44 वारंट तामील किए गए। गिरफ्तार किए गए 41 वारंटियों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जबकि 3 वारंटियों के मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर तामीली कार्रवाई पूरी की गई। इस कार्रवाई में उरगा थाना द्वारा 8, कुसमुंडा थाना द्वारा 7, बालको थाना द्वारा 5, और अन्य 21 वारंटों की तामीली अन्य थानों द्वारा की गई। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने कहा कि आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और अधिक सघनता से जारी रहेगी, ताकि जिले में स्वतंत्र, निर्भीक और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए जा सकें।

बीजापुर में सुरक्षाबलों का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन-उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

रायपुर। आरएनएस

बीजापुर के नेशनल पार्क क्षेत्र में सुरक्षाबलों द्वारा चलाए गए बड़े ऑपरेशन में 31 वर्दीधारी नक्सली मारे गए हैं। इस अभियान में एके-47, इंसास और बीजीएल लॉन्चर सहित कई ऑटोमैटिक हथियार बरामद किए गए हैं। उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस महत्वपूर्ण ऑपरेशन की जानकारी देते हुए बताया कि बीजापुर के नेशनल पार्क वाले क्षेत्र में सुरक्षा कैम्पों से 650 से अधिक जवानों ने ऑपरेशन लॉन्च किया था। इस अभियान के दौरान 31 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने बताया कि इस अभियान में हमारे दो वीर जवान शहीद हुए हैं, जिनके सर्वोच्च बलिदान को मैं शत्-शत् नमन करता हूँ। ईश्वर शोकाकुल परिवार को संबल प्रदान करें। इसके अतिरिक्त दो जवान घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल एयरलिफ्ट कर उपचार के लिए भेजा गया है। मैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी और फरवरी माह को मिलाकर देखें तो यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। जिस क्षेत्र को नक्सलियों का आरामगाह कहा जाता था, वहां आज हमारे बहादुर जवानों ने साहसिक अभियान चलाकर नक्सलियों को करारा जवाब दिया है। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने इस सफल ऑपरेशन के लिए सभी सुरक्षाबलों को बधाई दी और कहा कि सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पूरी ताकत से जारी रहेगी।

ड्रंक एंड ड्राइव : वाहन चालकों के लाइसेंस होंगे निलंबित

रायपुर। आरएनएस

पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के आदेशानुसार रायपुर पुलिस द्वारा कल देर रात अटल नगर नवा रायपुर ड्रंक एंड ड्राइव वाहन चालकों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाते हुए शहर के तीन प्रमुख स्थान श्रीराम मंदिर के पास, फुण्डहर चौक एवं एयरपोर्ट टर्निंग नवा रायपुर में बेरिकेटिंग कर चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें यातायात पुलिस एवं थाना तेलीबांधा, मंदिर हसौद एवं राखी स्टॉफ द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 18 शराबी वाहन

चालकों पर मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण निराकरण हेतु कोर्ट भेजा गया। जिसने 15कार 3मोटरसाईकिल शामिल है!

बता दे कि शहर की यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन में ड्रंक एंड ड्राइव वाहन चालक सबसे बड़ी बाधा है। नशे की हालत में होने के कारण स्वयं तथा दूसरे वाहन चालक के जान के लिए जोखिम भरा होता है। ऐसे वाहन चालकों पर सख्त कार्यवाही हेतु रायपुर पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाकर कार्यवाही की जाती है। इसी क्रम में 09फरवरी को भी श्रीराम मंदिर के पास, फुण्डहर चौक एवं एयरपोर्ट टर्निंग नवा रायपुर में बेरिकेटिंग कर चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें कुल 18नशेड़ी वाहन चालकों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए प्रकरण निराकरण के लिए कोर्ट भेजा गया।सभी वाहन चालको का लाइसेंस भी निलंबन हेतु परिवहन कार्यालय भेजा जायेगा!

इसके साथ ही शराब सेवन कर वाहन चलाने के दौरान थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक्सीडेंट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी प्रियेश बग्गा पिता सुरेंद्र बग्गा उम्र 23 वर्ष निवासी फॉरेस्ट कॉलोनी के सामने पंडरी रायपुर थाना सिविल लाइन रायपुर के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 70/25 धारा 281 125(ड्ड) क्चहस् का अपराध पंजीबद्ध कर वाहन क्रमांक सीजी 04 ष्2 7777 को जप्त कर कार्यवाही करने के साथ ही पृथक से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्यवाही किया गया।

हत्या का प्रयास आरोपी गिरफ्तार

0 आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा एवं 4 जिंदा कारतूस बरामद

कोरबा-रायपुर। आरएनएस

प्रार्थी, जो थाना सिविल लाइन, रामपुर, कोरबा में रहकर होटल एवं घर-घर दूध बेचने का कार्य करता है, ने पुलिस को बताया कि दिनांक 08.02.2025 को शाम 06:30 बजे वह रोज की तरह रवि डेयरी के पीछे स्थित फैक्ट्री में दूध देने गया था। इसी दौरान विधि से संघर्षरत 03 बालक पीड़ित को देखकर संदिग्ध रूप से आसपास चक्कर लगा रहे थे। जब वह फैक्ट्री के अंदर दूध देने गया, तभी हिमांशु यादव हाथ में देसी कट्टा लेकर वहां पहुंचा। जैसे ही प्रार्थी फैक्ट्री से बाहर निकला, हिमांशु यादव ने उस पर कट्टे से फायर कर दिया। प्रार्थी ने तत्काल फैक्ट्री का गेट बंद कर खुद को बचाया, जिससे वह किसी भी गंभीर चोट से सुरक्षित रहा। इसके बाद उसने घटना की सूचना पुलिस को दी।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी: प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोरबा, सिद्धार्थ तिवारी (भा.पु.से.) के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यू.बी.एस. चौहान के मार्गदर्शन में, साइबर सेल प्रभारी रविन्द्र कुमार मीना (भा.पु.से.) तथा नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का के नेतृत्व में साइबर सेल एवं थाना सिविल लाइन की संयुक्त टीम आरोपियों की तलाश में जुट गई।

मुखबिर की मदद से आरोपी हिमांशु यादव एवं विधि से संघर्षरत 2 अन्य बालकों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद हिमांशु यादव के कब्जे से 01 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। आरोपी हिमांशु यादव को गिरफ्तार कर विधि से संघर्ष में दो बालकों की पारिवारिक पृष्ठ भूमि भराई जाकर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इसमें विधि से संघर्षरत एक बालक पर पहले भी एक अन्य मामले में हत्या के प्रयास का एक मामला सिविल लाइन थाने मे पंजीबद्ध है।

गरफ्तार आरोपी: हिमांशु यादव निवासी प्रयागपुर, पुरे बरगदहा, थाना गदागंज, जिला रायबरेली (उ.प्र.) सामाजिक पृष्ठभूमि फॉर्म भराए गए 02 अन्य विधि से संघर्षरत बालक।

ब्लींकिट कंपनी के गोडाउन में पुलिस की दबिश, प्रतिबंधित हुक्का सामग्रियों की हो रही थी डिलवरी

रायपुर। आरएनएस

विगत कुछ दिनों से लगातार शिकायतें प्राप्त हो रहीं थी, ऑन लाईन डिलीवरी कंपनी ब्लींकिट द्वारा हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामाग्रियों का ऑन लाईन डिलीवरी किया जा रहा है। पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल व प्रभारी निरीक्षक परेश कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में रायपुर क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा टेस्ट पर्चेस कर थाना सिविल लाईन, तेलीबांधा एवं देवेन्द्र नगर स्थित ब्लींकिट के 03 अलग - अलग गोडाउन में रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान तीनों गोडाउन से लगभग 5लाख रूपये कीमत के हुक्का से संबंधित प्रतिबंधित सामग्री, कम्प्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, प्रिंटर, बारकोड स्टीकर मशीन, आर्डर डिवाईस, मोबाईल फोन तथा टाटा 407 वाहन क्र. एम एच 04 जे यू 5458 रकम लगभग 15 लाख रुपये को जप्त किया गया है तथा आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन, तेलीबांधा एवं देवेन्द्र नगर में धारा 4(क), 21(क), 13(क) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 एवं संशोधन अधिनियम 2023 अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही की जा रहीं है।

गिरफ्तार आरोपी (थाना सिविल लाईन के प्रकरण में)

01. लोकेश सागर पिता अनिल कुमार सागर उम्र 29 वर्ष, निवासी सेक्टर 03 देवेन्द्र नगर रायपुर।

02. विवेक मांझी पिता नरोत्तम लाल मांझी उम्र 25 वर्ष निवासी माता गैरेज के पीछे पंडरी रायपुर।

गिरफ्तार आरोपी (थाना तेलीबांधा के प्रकरण में)

01. जय दीप मिश्रा पिता राम आश्रय मिश्रा उम्र 32 साल निवासी प्रोफेसर कालोनी झूलेलाल किराना स्टोर के पास थाना पुरानी बस्ती रायपुर। (तेलीबांधा)

02. प्रमोद कुमार साहू पिता रथ राम साहू उम्र 36 साल निवासी हाउसिंग बोर्ड सड्डू थाना विधानसभा रायपुर।

03. नेतराम ढीढी पिता मोहन लाल ढीढी उम्र 28 साल निवासी सतबहनिया मंदिर के पास पुराना राजेन्द्र नगर थाना न्यू राजेन्द्र नगर रायपुर।

04. आदित्य चौहान पिता कीर्तन चौहान उम्र 27 साल निवासी लक्ष्मी नगर मोवा थाना पंडरी रायपुर।

05. रहमतुल्ला शेख ति सरदार रहमान शेख उम्र 43 साल निवासी बडगांव गुजर थाना हिंगना जिला नागपुर महाराष्ट्र (वाहन चालक)।

गिरफ्तार आरोपी (थाना देवेन्द्र नगर के प्रकरण में)

01. लोकेश्वर साहू पिता कमलेश साहू उम्र 30 साल निवासी हीरापुर आमानाका रायपुर।

02. दयाशंकर बंजारे पिता संतोष बंजारे उम्र 20 साल निवासी लोधीपारा पंडरी रायपुर।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक
आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।
उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।
मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।
पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।
अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।
पढिए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001
www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU